

क्या टैक्सटाइल मिल, बम्बई के मालिकों और भारीदारों द्वारा जात्यार का भुगतान

5017. श्री हुकम चन्द्र कछवाहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाम टैक्सटाइल मिल, बम्बई के मालिकों और भारीदारों ने गत तीन वर्षों में वर्षवार अलग-अलग कितनी आयकर का भुगतान किया और उन्हें अभी भी कितनी आयकर का भुगतान करना है;

(ख) क्या उक्त मिल के मालिकों और भारीदारों ने कुछ कम्पनियों, फर्मों और उद्योगों में बहुत अधिक पूँजी लगा रखी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कम्पनियों फर्मों और उद्योगों के नाम क्या हैं और उनमें कितनी कितनी पूँजी लगाई गई है और उनमें से प्रत्येक ने प्रत्येक कम्पनी शादि में किन किन तारीखों को पूँजी लगाई है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ निदेशक बदल गये हैं; और

(इ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कुमारिकारदत्त) : (क) से (इ). अधेसित सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रखा दिया जायेगा।

फोनेक्स टैक्सटाइल मिल नं० 1, बम्बई द्वारा आयकर का भुगतान

5018. श्री हुकम चन्द्र कछवाहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोनेक्स टैक्सटाइल मिल नं० 1 बम्बई के मालिकों तथा भारीदारों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आय कर की कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ख) उनके द्वारा अभी आय कर की कितनी राशि का भुगतान किया जाना है और इस राशि के कब तक वसूल किये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कुलकिंवारदत्त) : (क) और (ख). अधेसित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है; इसे एकत्रित किया जा रहा है तथा यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रखा दिया जायगा।

फोनेक्स टैक्सटाइल मिल नं० 1, बम्बई के मालिकों तथा भारीदारों को कर्ज देने वाले बैंक

5019. श्री हुकम चन्द्र कछवाहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन बैंकों ने फोनेक्स टैक्सटाइल मिल नं० 1, बम्बई के मालिकों और भारीदारों को गत तीन वर्षों के दौरान कर्ज दिये और प्रत्येक मामले में कितना कर्ज दिया गया;

(ख) क्या उक्त मिल बैंकों का कर्ज चुकाने में अनियमितताएं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इस तरह की अनियमितताएं कितनी बार की गई हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?